

### उपाबंधय XIII

विद्युत दुर्घटना की रिपोर्ट प्रेषित करने के लिये प्रारूप (नियम-44-क देखें)

1. दुर्घटना की तारीख और समय -----
2. दुर्घटना का स्थान -----  
ग्राम/नगर,तहसील/थाना,जिला और राज्य -----
3. प्रदाय की पद्धति और वोल्टता -----  
(क्या ई0एच0बी0/एच0बी0लाइन/सब स्टेशन उत्पादन केन्द्रिय/उपभोक्ता/प्रतिशठान/  
सर्विस लाइन/अन्य प्रतिशठापन है) -----
4. प्रदायकर्ता के भार साधक का पद नाम, जिसकी  
अधिकारिता में दुर्घटना हुई थी । -----
5. स्वामी/ऊर्जा का उपभोग करने वाले का नाम जिसके परिसर में दुर्घटना हुई थी । -----
6. पीड़ित व्यक्ति (व्यक्तियों) के ब्यौरे:-

#### (क) मानव

क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	पीड़ित व्यक्ति पुरुश/स्त्री	पूरा डाक पता	आयु लगभग	धातक/अधातक
1	2	3	4	5	6	7

#### (ख) पशु

क्रम संख्या	पशु(पशुओं का विवरण)	संख्या	स्वामी/(स्वामियों) का/के नाम	स्वामी/(स्वामियों) का/के पता/पते	धातक/अधातक
1	2	3	4	5	6

7. यदि पीड़ित व्यक्ति प्रदायकर्ता का/के कर्मचारी है/हैं तो:

- (क) ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों)का/के पदनाम -----
- (ख) किए गये काम, यदि कोई हो , का संक्षिप्त वर्णन -----
- (ग) क्या ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को वह काम करने के लिए अनुज्ञात किया गया था ? -----

8. यदि पीड़ित व्यक्ति किसी अनुज्ञात ठेकेदार का/के कर्मचारी है/हैं तो:

- (क) क्या पीड़ित व्यक्ति /व्यक्तियों के पास विद्युत कर्मकार अनुज्ञा पत्र या नियम-45 के अधीन जारी किया पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण पत्र था? यदि हां तो उसको जारी किये जाने का संख्याक और तारीख तथा जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम दें । -----

- (ख) ऐसे व्यक्ति का नाम पदनाम जिसने पीड़ित व्यक्ति -----

9. यदि दुर्घटना प्रदायकर्ता की प्रणाली में हुई है तो -----

क्या कार्य करने की अनुज्ञा पत्र(पी0टी0डब्लू0)लिया गया था ? -----

10.(क) क्षति की प्रकृति और विस्तार उदाहरणार्थ धातक/शरीर के किसी भाग की निःशक्तता(स्थायी या अस्थायी)या जलना/अन्य -----

क्षतियों के बारे में विस्तार से बतायें ?

(ख) यदि घातक दुर्घटना हुई थी तो क्या शव परीक्षा की गई थी ? -----

11. दुर्घटना होने का ब्योरेवार कारण(ब्यौरा इस प्रपत्र के साथ संलग्नक एक अलग शीट में दिया जाए) -----

12. दुर्घटना होने के तुरन्त पश्चात प्राथमिक उपचार, चिकित्सीय परिचर्या आदि की बाबत की गई कार्यवाही (ब्योरे दें)? -----

13. क्या दुर्घटना के बारे में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस थाना को सूचित किया गया है? यदि हाँ तो ब्यौरे दें? -----
14. जहा तक सम्भव है उस सीमा तक दुर्घटना से सम्बन्धित साक्ष्य को बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई ? -----
15. उस व्यक्ति(उन व्यक्तियों)का/के नाम और पद नाम जो भरने वाले या क्षतिग्रस्त व्यक्ति(व्यक्तियों)की सहायता या पर्यवेक्षण कर रहे थे? -----
16. जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है/हुए हैं क्या उसे/उन्हें सुरक्षा उपस्कर दिये गये थे और उनके द्वारा उनका उपयोग किया गया था ?(उदाहरणार्थ रबड़ के दस्ताने,रबड़ मेट,सुरक्षा पेटियां और सीढियां आदि )? -----
17. क्या पृथक कारी स्विचों और अन्य अनुविभागीय युक्तियों को उन पर कार्य करने के लिए अनुभागों को निष्क्रीय करने के लिये नियोजित किया गया था ? -----
18. क्या विद्युन्मय लाईनों पर कार्य प्राधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किया गया था? यदि हां तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पदनाम दिये जायें ? -----
19. क्या ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को जो विद्युत दुर्घटना से ग्रस्त हुआ था/हुए थे/उसे/उन्हें कृत्रिम पुर्नजीवन उपचार दिया गया था, यदि हां, तो उसे/उसके परित्याग से पूर्व कब तक दिया जाता रहा था ? -----
20. दुर्घटना के समय जो व्यक्ति उपस्थित साक्षी थे उनके नाम और पद नाम ? -----
21. कोई अन्य जानकारी/टिप्पणियां -----

स्थान: -----

समय: -----

नाम: -----

हस्ताक्षर: -----

पद नाम: -----

तारीख: -----

रिपोर्ट करने व्यक्ति का पता: -----

(संसी०ई०बी०३०५/२१/एन एक्स XIII -८५)

बी०एम०रेड्डी

सचिव, (सी०ई०बी०)